11/5/17 आज पत्रावली समक्ष लोक अदालत में आपके वाद 201 अरलिया बिड़ला खगापुर में प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने मा० धारा अन्तर्गत धारा 229 RTAct प्रस्तुत कर, पूर्व में वाद में समझौता लोक अदालत नगर खगापुर में तारीख 6/6/16 नियत थी, जिसमें प्रार्थी ने यह निवेदन कर वाद वापिस लिया था कि इस वाद को वापिस लेकर पुनः दावा प्रस्तुत करना चाहता है, श्रीमान द्वारा स्वीकार भी कर लिया था लेकिन आदेश में यह अंकित नहीं किया गया, इस लिये आदेश दिनांक 6/6/16 पर पुनर्विचार कर पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति का निवेदन किया है।

पक्षगण एकपक्षीय सुनवाई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 229 RTAct को स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि आदेश दिनांक 6/6/16 में पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार लोक अदालत से कम हो।

मि० झुन्झुनूं

झूंसा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट,
ग्राम पंचायत .....